न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 46/2018/अपील

रिछपाल पुत्र माला जाति जाट निवासी निमेड़ा तहसील खण्डेला जिला सीकर

अपील

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र सुवालाल जाति बलाई निवासी निमेड़ा तहसील खण्डेला जिला सीकर।
2. मोहनी देवी पत्नी श्री रामूराम
3. धमेन्द्र पुत्र श्री रामूराम
4. गणपत पुत्र श्री बिडदुराम
5. धीरज पुत्र श्री रामूराम

समस्त जाति जाट निवासीगण निमेड़ा तहसील खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोडे

अपील विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार खण्डेला के निर्णय दिन 16.04.2018 मुकदमा नम्बर 4/17 अनुवानी राधेश्याम बनाम रिछपाल वगै0

वकील अपीलांट श्री सांवरमल

वकील रेस्पोडेंट श्री विनोद कुमार सरोज

निर्णय **दिनांकः—01.02.2**

संक्षेप में अपील में तथ्य इस प्रकार है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर रकबा 0.40 हैक्टर वाके ग्राम निमेडा तहसील खण्डेला सीकर की तन में अवस्थि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व झाबरमल, बाबुलाल पुत्रगण माला की पैत्रिक आधिपत्य की भूमि रही है। जिस पर वे अपने पूर्वजों के जमाने से राजस्थान का अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है उपरोक्त भूमि की खातेदारी में गलत नाम अंकित हो जाने को आधार बना कर रे संख्या 1 द्वारा योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खण्डेला के समक्ष अपीलाधीन अन्तर्गत धारा 183 बी का प्रस्तुत किया गया, जिसको विद्वान अधिनस्थ न्यायाल गलत रूप से दिनांक 16.04.2018 को स्वीकार कर इस आशय का आदेश पारित क गया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राज निमेडा की भूमि खसरा नम्बर 1295 रकबा 0.46 है0 भूमि का सीमाज्ञान कर अप्रार्थी मौके से बेदखल कर संबंधित खातेदारान को कब्जा सम्भलावे। तदनुसार भू0अ0निरी हल्का पटवारी हो तहरीर जारी हो। बरवक्त आवश्यक हो तो पुलिस ईमदाद का जावे। स्वीकृत रूप से विवादित भूमियों की खातेदारी रेस्पोन्डेंट संख्या 1 के अल व्यक्तियों के नाम से दर्ज है। जबकि अपीलाधीन आवेदन अकेले रेस्पोन्डेन्ट संख द्वारा ही पेश किया गया है। अपीलांट व अन्य व्यक्तियों द्वारा अपीलाधीन आवेदन

निषेधाज्ञा व बंटवारा प्रस्तुत कर रखा है, जो विचाराधीन है, जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 07.05.2018 नियत है। अपीलांट द्वारा विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.04.2018 को एक आवेदन भी इस आशय का पेश किया गया था, लेकिन विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के उक्त आवेदन का कोई निस्तारण नहीं कर सीधे ही अन्तिम निर्णय पारित कर दिया। जहां नियमित वाद विचाराधीन हो वहां पर कानूनन 183 बी जैसी संक्षिप्त सुनवाई वाले प्रार्थना पत्र की सुनवाई उक्त नियमित वाद के निस्तारण तक स्थगित करनी चाहिए, जबकि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं करके भारी कानूनी भूल कारित की गई है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों दस्तावेजों एवं मौखिक साक्ष्य का सही रूप से विवेचन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन नही किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खण्डेला द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.04.2018 निरस्त फरमाया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया व विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत RRD-1998 पेज नम्बर 163 से 166 का भी अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 में विवादग्रस्त आराजियात राधेश्याम पुत्र सुवा गोपाल मोहनलाल भगवानाराम पि. दौला व दाखली बेवा दोला कौम बलाई के नाम से दर्ज रिकार्ड है। अधिकार अभिलेख व पक्षकारान के कथन से यह निर्विवाद है कि वादग्रस्त आराजी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि है जिस पर अपीलांट, रेस्पो. संख्या 2 व अन्य जो कि गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति है, ने अपना कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मेमों में न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक खण्डेला के समक्ष एक नियमित वाद उनवानी मोहनी देवी आदि बनाम राधेश्याम आदि मु0 नं0 242/2016 बाबत इस्तकार हक, स्थाई निषेधाज्ञा व बंटवारा प्रस्तुत करने का भी उल्लेख कर रखा है। राजस्व अभिलेख के इन्द्राजात एवं अपीलांट की स्वीकारोक्ति के मध्यनजर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183बी के संदर्भ में प्रकरण पर सरसरी गौर किये जाने मात्र से यह परिलक्षित है कि प्रकरण में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति का अतिक्रमण है जिसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183बी के अतिविशिष्ट प्रावधान का सरंक्षण प्राप्त है तथा जब तक राजस्व अभिलेख में अपीलांट का नाम उल्लेखित न हो तब तक वह अतिक्रमी ही माना जाकर बेदखली योग्य है। यदि अपीलांट विवादित आराजी पर अपना विधिक हक होना सक्षम न्यायालय में साबित कर राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज नहीं करवाले, तब तक वह इस आराजी पर काबिज काश्त होने का अधिकार नहीं रख सकता। अतः अपीलांट संक्षिप्त जांच (Summary Trial) के माध्यम से बेदखली के दायित्वाधीन है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कथनों के मुताबिक पक्षकारान सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद के माध्यम से चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। तथापि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 01.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1/2/19

(जय प्रकाश)